



2026:AHC:3340

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19672 वर्ष 2025

मधु वाला शर्मा

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार, सौम्येश दत्त त्रिपाठी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुरेश कुमार मौर्य

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौम्येश दत्त त्रिपाठी, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार मौर्य के तर्कों को सुना।
- याचिकाकर्ता के पति को वरिष्ठ क्लर्क बताया गया है, जिनका निधन 27.04.2011 को हुआ था। याचिकाकर्ता 226 दिनों की अवधि के लिए अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति और भुगतान का दावा करती है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दावा विलंब और लापरवाही के कारण वर्जित है।
- दोनों पक्षों के निवेदन और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति प्रतिवादी संख्या 4 - जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए। अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे पर, उसकी स्वीकार्यता, पात्रता और विलंब एवं लापरवाही के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, **रुषिभाई जगदीशभाई पाठक बनाम भावनगर नगर निगम, जेटी 2022 (5) एससी 470** में दिए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए कानून के आलोक में, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 4 का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7 जनवरी, 2026

आर.एस. तिवारी

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।